

अनुसूचित जनजाति की कृषि और तकनीकी

आरती राना

शोध छात्रा- कुमाऊँ यूनिवर्सिटी

नैनीताल, उत्तराखण्ड ।

डॉ० गुरेन्द्र सिंह

शोध निर्देशक-एच.एन.बी.पी.जी. कॉलेज खटीमा

जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड ।

शोध सारांश

थारु जनजाति परिचय-

थारु जनजाति उत्तराखण्ड राज्य के जिला ऊधम सिंह नगर के मुख्यतः खटीमा एवं सितारगंज विकासखण्ड के 144 गांवों में निवास करती है । उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजाति की थारु जनजाति सबसे बड़ा समुदाय है । जो कि अतीतकाल से उत्तराखण्ड के तराई के जंगली में निवास करती आ रही है ।

प्रकृति की गोद में बसे हुए थारु समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति, प्रथाएं परम्परायें एवं मान्यताएं हैं । जो अपनी जनजातीय अनमोल संस्कृति की धरोहर को समेटे हुए है । थारु समाज निश्चित रूप से एक जीवन्त समाज है । थारु जनजाति आरम्भिक काल में भ्रमणशील रही है, परन्तु वर्तमान समय में साधनों के विकास के कारण स्थित जीवन व्यतीत करने लगी है । यद्यपि स्वतन्त्रता से पहले इनका सामाजिक और आर्थिक जीवन अत्यधिक पिछड़ा था, किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् उनके जीवन में अत्यधिक परिवर्तन आया । भारतीय संविधान में थारु जनजाति के उत्थान व कल्याण के लिए प्रावधान किया गया है-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजाति को उन समुदायों के रूप में संदर्भित किया गया है । जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध किया गया है ।

अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियां वे समुदाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद द्वारा जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद द्वारा संबंधित अधिनियम में संशोधन के पश्चात इस प्रकार घोषित किया गया है ।

भारतीय संविधान में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किसी समुदाय की पहचान के बारे में कोई विशेष तथ्य नहीं प्राप्त है । आदिमता, भौगोलिक पृथक्ता और सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन ऐसे लक्षण हैं जो अनुसूचित जनजाति के समुदायों को दूसरे दूसरे समुदायों से पृथक करते हैं ।

थारु जनजाति की कृषि—

1) मुख्य फसलें :

- धान (सबसे मुख्य)
- गेहूँ, मक्का, जौ, सरसों
- दाले और सब्जियाँ (अपनी जरूरत के अनुसार)

2) कृषि पद्धति :

- वर्षा आधारित खेती
- पारंपरिक हल-बैलों की जुताई
- मिश्रित खेती (एक ही खेत में कई फसलें)

थारु जनजाति की कृषि से जुड़ी समस्याएं —

— परम्परागत कृषि पद्धतियां :

थारु विकास आज भी अधिकार पारंपरिक तरीको से खेती करते हैं । आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और वैज्ञानिक विधियों की कमी के कारण उत्पादन कम रहता है ।

— सिंचाई की कमी :

अधिकांश क्षेत्र वर्षा पर निर्भर हैं । नहर, ट्यूबवेल और आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का अभाव खेती को जोखिम पूर्ण बनाता है ।

– भूमि स्वामित्व की समस्या :

कई थारू परिवारों के पास अपनी भूमि नहीं है या बहुत छोटी जोत है । वन अधिकार और भूमि रिकार्ड से जुड़ी समस्याएं भी खेती को प्रभावित करती हैं ।

– वित्तीय संसाधनों की कमी :

पूंजी की कमी के कारण किसान खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यन्त्र नहीं खरीद पाते । बैंक ऋण पहुंच एक बड़ी समस्या है ।

– प्राकृतिक आपदाएँ :

बाढ़, सूखा, जंगली जानवरों द्वारा फसल नष्ट होना (विशेषकर वन क्षेत्रों के पास) थारू किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है ।

– बाजार और उचित मूल्य समस्या :

फसल बेचने के लिए स्थानीय बाजारों तक सीमित पहुंच होती है । बिनौलियों पर निर्भरता के कारण उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ।

– शिक्षा और जागरूकता की कमी :

कृषि से संबंधित प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं की जानकारी और तकनीकी सलाह का आभाव भी कृषि विकास में वधा है ।

– मृदा की गुणवत्ता में गिरावट :

लगातार एक ही प्रकार की फसल बोने और जैविक सुधार के अभाव में भूमि की उर्वरता कम हो रही है ।

– थारू जनजाति की कृषि समस्याओं का समाधान निम्न बिंदुओं में व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है :

1– सिंचाई व्यवस्था का सुधार :

– वर्षा-आधारित खेती पर निर्भरता कम करने हेतु नलकूप, लघु नहरें, ड्रिप व स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें अपनाई जाएं ।

– जल-संग्रह (तालाब, खेत- तालाब) को बढ़ावा दिया जाए ।

2- उन्नत बीज व फसल विविधीकरण :

- पारंपरिक फसलों के साथ उन्नत एवं रोग –प्रतिरोधी बीज उपलब्ध कराए जाएँ ।
- धान-गेहूँ के साथ दलहन, तिलहन, सब्जी व बागवानी को शामिल कर आय बढ़ाई जाए ।

3- मृदा सुधार व जैविक खेती :

- मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित पोषण दिया जाए ।
- जैविक खाद, हरी खाद, वर्मी-कम्पोस्ट से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाए ।
- पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक का समन्वय हो ।

4- कृषि प्रशिक्षण व विस्तार सेवाएँ :

- किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, कीट-रोग प्रबंधन, मौसम-सूचना का प्रशिक्षण मिले ।
- कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और मोबाइल सलाह सेवाओं से जोड़ना ।

5- सरकारी योजनाओं की पहुँच :

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, कृषि यंत्रीकरण अनुदान जैसी योजनाओं का लाभ सरल प्रक्रिया से मिले ।
- आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष कृषि पैकेज लागू हों ।

6- विपणन व भंडारण सुविधा :

- स्थानीय मंडी, सहकारी समितियाँ, के माध्यम FPO के माध्यम से उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए।
- भंडारण, कोल्ड-चेन और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित हों ।

7- भूमि व सामाजिक सुरक्षा :

- भूमि स्वामित्व/पट्टे का नियमितीकरण किया जाए ताकि ऋण व योजनाओं की पात्रता मिले ।
- महिला किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए लक्षित सहायता ।

8- क्षेत्र-विशेष हस्तक्षेप :

- थारू क्षेत्रों (जैसे उत्तर-प्रदेश के तराई अंचल) के लिए जलभराव प्रबंधन, धान की उन्नत किस्में, मत्स्य-पालन जैसे विकल्प अपनाए जाएँ ।
- राष्ट्रीय स्तर पर भारत में आदिवासी कृषि के लिए समेकित नीति क्रियान्वयन ।

निष्कर्ष :

स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के समन्वय से थारू जनजाति की कृषि समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है । यदि चाहें, मैं इसे निबंध/प्रोजेक्ट/उत्तर-लेखन के रूप में भी तैयार कर ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- एस0सी0 भट्ट (2005), "लैड एण्ड फयूपिल ऑफ इण्डियन स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटोरिज उत्तरांचल", कलपाज पब्लिकेशन, दिल्ली ।
 - योगेश चन्द्र जोशी (2000), "थारू जनजाति एक अध्ययन", कुमाऊँ वि0वि0 में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध ।
 - दि इण्डियन जनरल ऑफ पॉलिटिकल साइंस
 - इण्डियन स्टेटयुरी कमीशन ऑफ ऑन लोकल सैल्फ गवर्नमेंट (1929) ।
 - रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी (1963) ।
- इण्डिया प्लानिंग कमीशन, थर्ड फाइव ईयर प्लान ।